सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–**184/2012** दायर दिनाँक **27.12.2012**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. नारायणराम पुत्र हीराराम, जाति–जॉगिड़, निवासी–दूदोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जयचन्द पुत्र कुशालाराम, 2. केशुराम पुत्र कुशालाराम, 3. गोविन्दराम पुत्र कुशालाराम, 4. राजूराम पुत्र कुशालाराम, 5. तेजाराम पुत्र कुशालाराम, समस्त,जाति–जॉगिड़, निवासी–दूदोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र
बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा, U/S 212 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री चेनाराम थोरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 की ओर से।

– :: निर्णय :: –

दिनाँक **16.01.2018**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने वाद बाबत् खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण भागीरथराम, शिवरतन व अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 07 के पिता कुशालाराम चारों सगे भाई हैं तथा स्वर्गीय हीराराम के जायन्दा पुत्र है। अपने पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी करीब 16 साल का था, नाबालिग था तथा चारों भाईयों में सबसे छोटा था।

खेत खसरा संख्या 376 रकबा 11.18 बीघा व खेत खसरा संख्या 523 रकबा 14.11 बीघा वाकै दूदोली की में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भागीरथराम के नाम से, खेत खसरा संख्या 524 रकबा 28.11 बीघा, कुल रकबा 28.11 वाकै शरहद दूदोली प्रतिवादी संख्या 02 शिवरतन के नाम से, खेत खसरा संख्या 370 रकबा 27.08 बीघा, खेत खसरा संख्या 374 रकबा 20.03 बीघा, कुल 47.09 बीघा वाकै शरहद दुदोली की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी अप्रार्थी संख्या 03 ता 07 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि रकबा 102.09 बीघा होती है। नकल पेश है।

उक्त खेतों की खातेदारी व कब्जाकाश्त प्रार्थी के पिता हीराराम की रही है तथा काश्त भी इनके नाम से ही दर्ज रही है। नकल पेश है।

प्रार्थी के पिता ने जो जमीन अपने पास खसरा नम्बर 524 रकबा 28.11 रखी थी उसका नामान्तरकरण दिनाँक 23.07.1981 को अकेले प्रतिवादी शिवरतन के नाम से बिना किसी प्रकार की जाँच किये ही उक्त प्रतिवादी ने मिलीभगत कर बाला–बाला ही करवा लिया जबकि हीराराम के स्वर्गवास के बाद उसके चारों पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। अर्थात् शुरू से ही प्रार्थी के साथ अन्याय होता रहा है और प्रार्थी के पिता हीराराम ने सरचार्ज से बचने के लिए अपनी पैतृक भूमि अपने चारों पुत्रों में से दो पुत्रों कुशालाराम व भागीरथराम के नाम से करवा दी व शेष अपने नाम से रही भूमि का नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी नम्बर 02 शिरतन के नाम से करवा ली, जबकि प्रार्थी को अपने पिता की पैतृक भूमि रकबा 102.09 बीघा में से 1/4 हिस्से का जायज इकदार है, लेकिन प्रार्थी को कुछ भी नहीं मिली, जिसके कारण प्रार्थी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं। नकल नामान्तरकरण व जमाबन्दी व गिरदावरी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

उक्त खेतों का मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् पूर्व में ही कर लिया है जिसके अनुसार प्रार्थी नारायणराम के बन्ट में खेत खसरा नम्बर 374 रकबा 20.03 बीघा, अप्रार्थी संख्या 03 ता 07 के पिता के पिता कुशालाराम के बन्ट व कब्जा में खसरा 370 रकबा 27.06 बीघा, प्रतिवादी नम्बर 01 भागीरथराम के बन्ट कब्जा काश्त में खसरा संख्या 376 रकबा 11.18 बीघा व खसरा नम्बर 523 रकबा 14.11 बीघा कुल 26.09 बीघा व प्रतिवादी संख्या 02 शिवरतन के बन्ट में खेत खसरा नम्बर 524 रकबा 28.11 बीघा आया। इसी प्रकार पक्षकारान् काबिज हैं। अप्राथी संख्या 03 ता 07 के पिता कुशालाराम के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रों अप्रार्थी नम्बर 03 ता 07 का कब्जा चला आ रहा है।

प्रार्थी सबसे छोटा व भोला–भाला था सन् 1971 में सरचार्ज से बचनेके लिए किये गये बन्टवारे के समय नाबालिग था तथा बाद में बालिग होने पर घर से बाहर मजदुरी करने चला गया और उनको खेत की खातेदारी अपने नाम से होने की जानकारी नहीं रही क्योंकि इनके घर में सबसे छोटे होने से बड़े भाई ही सब काम करते थे लेकिन उन लौगों ने प्रार्थी के साथ घोखा कर लिया तथा अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 03 ता 07 ने

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

हाल ही में 10.12.2012 को खेत खसरा संख्या 374 को अन्यत्र को बेचने व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी क्योंकि अप्रार्थी नम्बर 03 ता 07 के नाम से गलत खातेदारी होने से उनके मन में लालच आ गया है और वे प्रार्थी को उसके पैतृक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर तुले हुए हैं जिसके कारण प्रार्थी के जायज अधिकार खतेरे में पड़ गये है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि खेत खसरा नम्बर 374 रकबा 20.03 बीघा की खातेदारी अपने नाम से करवाने का कानूनन् अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण नम्बर 03 ता 07 के नाम हटाये जाकर अपने नाम से घोषणा करवाने का जायज हकदार हैं।

प्रार्थना, प्रार्थी है कि,

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे कि वे प्रार्थी के हक, बन्ट व कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 374 रकबा 20.03 बीघा वाकै शरहद दुदोली में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे और अन्य से करावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जावे कि वे ताफैसला वाद उक्त भूमि का विक्रय/हस्तानान्तरण अन्य को नहीं करें तथा अप्रार्थी नम्बर 06 को पाबन्द किया जावे कि वे विक्रय/हस्तानान्तरण तस्दीक नहीं करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला रखी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण वास्ते जवाबदेही तलब किये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 06 तक के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की बहस समायत् की गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा कभी भी पैतृक सम्पति नही रही। उक्त भूमि स्व0 हिराराम की स्वअर्जित सम्पति है। तथा अप्रार्थीगण के पिता स्व0 कुशालाराम के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण स्व0 हिराराम के जीवनकाल में ही दिनाक 24/04/1973 को हो गया था। तथा तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा कुशालाराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त विवादित भूमि का नामान्तरण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाक 24/11/85 में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। तब से लेकर आज तक अप्रार्थीगण कि ही खातेदारी चली आ रही है नकल नामान्तरण पंजी का पेश है। और इस प्रकार से उक्त विवादीत भूमि स्व0 कुशालाराम कि स्वअर्जित भूमि है। तथा विवादीत खसरा नम्बरान कि भूमि स्व0 हरिराम की स्वअर्जित होने के कारण हिराराम ने अपने जीवणकाल में ही उक्त भूमि को अपने लडके कुशालाराम के नाम हस्तान्तरित कर दी थी। एक व्यक्ति को अपनी स्वअर्जित खातेदारी की भूमि के खातेदारी अधिकारो को हर प्रकार से हस्तान्तरित विकय आदि करने का अधिकार होता है। और उक्त विवादीत भूमि पैतक नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योगय नही है तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बरान कि भूमि पैत्रिक होना प्रार्थी साबित नही कर पाया जबकी दस्तावेज के अवलोकन से विवादीत भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के पिता की स्वअर्जित भूमि है।

इसलिए इस प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। इस प्रकार इस प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से, अस्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा, अस्वीकार कर, खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय दिनाँक 16.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner